२।६५

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, वेबसाईट : **http://bsea.bihar.gov.in** ई-मेल : **bseapatna@gmail.com**

पत्रांक-नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-03/2020 खण्ड-1 469 /पटना, दिनांक 25/02/2021

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰),
बिहार।
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय : **प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2021 के मतगणना के पश्चात् प्राधिकार के वेबसाइट bsea.bihar.gov.in पर निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूचना (प्रपत्र ई॰-18) की प्रविष्टि करने तथा संबंधित समितियों की मतदाता सूची को अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-77 एवं 78 दिनांक 11.01.2021 द्वारा राज्य में लगभग 1500 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की तिथि दिनांक 15.02.2021 निर्धारित थी। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार निर्वाचन शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ है। इस चुनाव में निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। इसके लिए प्राधिकार आपके और आपकी टीम के योगदान की प्रशंसा करता है।

प्राधिकार द्वारा कराये गये किसी भी सहकारी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान के पश्चात् समितियों के लिए निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूचना (प्रपत्र ई॰-18) को प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि कर उसका प्रिंट निकालकर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना पड़ता है। अलावे इसके निर्वाचन सम्पन्न हो जाने के पश्चात् संबंधित् समितियों की अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्), जिसपर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्र संख्या-2446 दिनांक 31.12.2019 द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था।

अतः अनुरोध है कि जिन निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा अब तक प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूचना (प्रपत्र ई॰-18) को प्रविष्ट नहीं किया गया है, वे तीन दिनों के अंदर इसे प्रविष्ट करायें। साथ जिन्होंने अब तक समिति के अंतिम मतदाता सूची को प्राधिकार के वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन के लिए सुरक्षित रखने हेतु मतदाता सूची अपलोड नहीं किया है, वे भी मतदाता सूची को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय),

Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-Pdf, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] प्राधिकार के वेबसाइट पर सात दिनों के अंदर मतदाता सूची को भी अपलोड करायें। ऐसा नहीं किये जाने पर वेबसाइट के डैशबोर्ड पर 'निर्वाचन सम्पन्न हुआ अथवा नहीं की स्थिति' में ''नहीं'' ही दिखाई देगा।

वेबसाइट पर निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूचना (प्रपत्र ई॰-18) संबंधी दिशा-निर्देश एवं समिति के अंतिम मतदाता सूची को मतदाता सूची अपलोड करने संबंधी प्राधिकार का पत्रांक-2446 दिनांक 31.12.2019 एवं 747 दिनांक 04.03.2020 पत्र के साथ संलग्न है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

22.2.21

(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 469 पटना, दिनांक: 25/02/2021

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰)/ सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स॰ स॰)/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स॰ स॰) से भी अनुरोध है उपरोक्त कार्यों को कराने हेतु सभी निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी निदेशित करना चाहेंगे।

3. सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु नोडल पदाधिकारी (स॰ स॰) एवं निर्वाचन पदाधिकारी से समन्व्य स्थापित करेंगे।

22.2.21

संयुक्त सचिव